राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 150/2018

श्रीराम पुत्र कालू उम्र 84 वर्ष जाति जाट निवासी गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0

.... वादी

ब–ना–म

1. कृष्ण कमार पुत्र चन्दगी
2. कृष्णा देवी पत्नी रामचन्द्र
3. जगदीश पुत्र मूलाराम
4. ताराचन्द पुत्र मूलाराम
5. नानची पत्नी मोहन
6. बलबीर पुत्र मूलाराम
7. बाबूलाल पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
8. बिमला पुत्री मूलाराम पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी हाल आबाद ढाणी रामजाज्र तन ग्राम किरारोध पोस्ट परामपुरा पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राज0
9. मुकेश पुत्र मोहन
10. रूड़ीदेवी पत्नी मूलाराम
11. रणजीत पुत्र मोहन
12. राजेन्द्र पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
13. राजबाला पुत्री मूलाराम पत्नी हरिसिंह उम्र 40 वर्ष निवासी हाल आबाद ढाणी रामजाज्र तन ग्राम किरारोध पोस्ट परामपुरा पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राज0
14. शांति पत्नी चन्दगी
15. सजन कुमार पुत्र कालू
16. संजय कुमार पुत्र रामचन्द्र
17. सत्यप्रकाश पुत्र चन्दगी
18. सुभाष पुत्र चन्दगी
19. सुरेश पुत्र मोहन
20. ग्यारसा पुत्र श्योकरण
21. गुलाब पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
22. इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा मेहाड़ा जाटूवास जरिये शाखा प्रबंधक।
23. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भुंगारका जरिये शाखा प्रबंधक।
24. राजस्थान सरकर जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

..........प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.09.26 14:26:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

दावा– खाता विभाजन

निर्णय **दिनांक 18–09–2020**

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11–02–2020 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित कर तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई कि वाके ग्राम गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2074 लगायत 2077 के खाता सं. 373 के खसरा नंबर 118, 220, 1219, 1229, 1344, 1347, 1348,1349, 1351, 1357, 1358, 1495, 1496 कुल किता 13 कुल रकबा 4.91 है. भूमि में वादी का 1/6 हिस्से की एवं प्रतिवादी सं. 15 का 1/6 हिस्से की भूमि का एवं इसी ग्राम में स्थित भूमि खाता सं. 372 के खसरा नंबर 229, 230, 231, 256, 257, 258, 780, 1658, 1695, 1697 कुल किता 10 कुल रकबा 3.89 है. भूमि में वादी का 1/8 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं. 15 का 1/8 हिस्से की भूमि का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवायें। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांकः भू. अ./20/1430 दिनांक 25–08–2020 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 25–08–2020 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 25–08–2020 (प्रदर्श–'अ–1 लगा. 4' व 'ब') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 25–08–2020 (प्रदर्श–'अ–1 लगा. 4' व 'ब') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी मय प्रतिदावा प्रतिवादी सं. 15 मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 25–08–2020 (प्रदर्श–'अ–1 लगा. 4' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 25–08–2020 (प्रदर्श–'अ–1 लगा. 4' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–'ब' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18–09–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/9/2020

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.09.26 14:26:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner